संख्या- 778/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़, झांसी, वाराणसी एवं आजमगढ़।

राजस्व अनुभाग 10-लखनऊः दिनांकः 11-07-2025

विषयः- प्रदेश में स्थापित होने वाले डॉपलर वेदर रडार स्थल की सुरक्षा हेतु फेन्सिंग एवं सुरक्षा कक्ष के निर्माण हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 05.05.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के 05 जनपदों में स्थापित हो रहे डॉपलर वेदर रडार स्थल की सुरक्षा हेतु फेन्सिंग एवं सुरक्षा कक्ष के निर्माण के सम्बन्ध में 04 जनपदों (अलीगढ़, झांसी, वाराणसी एवं आजमगढ़) द्वारा उपलब्ध कराये गये आवश्यक आगणन एवं नामित संस्था की सूचना प्रेषित करते हुए 04 जनपदों में डॉपलर वेदर रडार स्थल की सुरक्षा हेतु फेन्सिंग एवं सुरक्षा कक्ष के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 28 लाख के अतिरिक्त रू0 120.66 लाख की धनराशि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद से दिये जाने पर राज्य कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त कर सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया था।

2- अवगत कराना है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 08.02.2024 में 05 जनपदों में डॉपलर वेदर रडार स्थल की सुरक्षा हेतु फेन्सिंग एवं सुरक्षा कक्ष के निर्माण हेतु प्रति जनपद रू0 7 लाख के हिसाब से रू0 35 लाख की धनराशि में से 04 जनपदों हेतु रू0 28 लाख की धनराशि पर प्राप्त अनुमोदन एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22.05.2025 में उक्त परियोजना हेतु रू0 120.66 लाख की धनराशि अर्थात कुल रू0 148.66 लाख की धनराशि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से दिये जाने पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में उक्त परियोजना के मूल्यांकन/लागत हेतु गठित समिति द्वारा राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित कुल धनराशि रू0 148.66 लाख में से रू0 140.40 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया है, समिति द्वारा मूल्यांकित लागत का विवरण संलग्नक सहित निम्नवत हैः-

<u>04 जनपदों (झांसी, आजमगढ, वाराणसी एवं अलीगढ) में डॉप्लर वेदर रडार साइट की फैंसिंग एवं सुरक्षा कक्ष के निर्माण की योजना -</u>

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आगणन की लागत (लाख में)	समिति द्वारा मूल्यांकित

				लागत (लाख में)
1	जनपद आजमगढ़ में डॉप्लर वेदर रडार साईट की फेंसिंग एवं सुरक्षा कक्ष की स्थापना		41.83	39.71
2	जनपद अलीगढ़ में डॉप्लर वेदर रडार साईट की फेंसिंग एवं सुरक्षा कक्ष की स्थापना		37.50	32.02
3	जनपद झांसी में डॉप्लर वेदर रडार साईट की फेंसिंग एवं सुरक्षा कक्ष की स्थापना		32.36	26.58
4	जनपद वाराणसी में डॉप्लर वेदर रडार साईट की फेंसिंग एवं सुरक्षा कक्ष की स्थापना		36.97	42.09
योग			148.66	140.40

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 04 जनपदों (झांसी, आजमगढ़, वाराणसी एवं अलीगढ़) में डॉप्लर वेदर रडार साइट की फेंसिंग एवं सुरक्षा कक्ष के निर्माण की योजना हेतु सिविल वर्क एवं वाह्य विद्युत संयोजन (इन्टरनेट सेवाओं को छोडकर) हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 140.40 लाख (रूपए एक करोड़ चालीस लाख चालीस हज़ार मात्र)की धनराशि निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, अलीगढ़, वाराणसी, झांसी एवं आजमगढ़ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0 सं0	जनपद	कार्य का नाम	आवंटित धनराशि (लाख में)
1	आजमगढ़	डॉप्लर वेदर रडार साईट की फेंसिंग एवं सुरक्षा कक्ष की स्थापना(सिविल वर्क एवं बाह्य विद्युत संयोजन हेतु (इन्टरनेट सेवाओं को छोड़कर))	39.71
2	अलीगढ़	डॉप्लर वेदर रडार साईट की फेंसिंग एवं सुरक्षा कक्ष की स्थापना(सिविल वर्क एवं बाह्य विद्युत संयोजन हेतु (इन्टरनेट सेवाओं को छोड़कर))	32.02
3	झांसी	डॉप्लर वेदर रडार साईट की फेंसिंग एवं सुरक्षा कक्ष की स्थापना(सिविल वर्क एवं बाह्य विद्युत संयोजन हेतु (इन्टरनेट सेवाओं को छोड़कर))	26.58
4	वाराणसी	डॉप्लर वेदर रडार साईट की फेंसिंग एवं सुरक्षा कक्ष की स्थापना(सिविल वर्क एवं बाह्य विद्युत संयोजन हेतु (इन्टरनेट सेवाओं	42.09

		को छोड़कर))		
			योग	140.40

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धः-

1. उक्त डॉपलर वेदर रडार स्थापना स्थल की फेन्सिंग एवं सुरक्षा कक्ष के निर्माण की समस्त कार्यवाही राहत आयुक्त की निगरानी में सम्पन्न कराई जायेगी और समय-समय पर उसकी प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जाएगा।

2. स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/व्ययक मैन्युअल के अनुसार किया जाएगा।

3. राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार की सुसंगत गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा।

4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31 मार्च 2026 के पूर्व कर लिया जाएगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31 मार्च, 2026 के पूर्व समर्पित कर दी जाएगी।

5. जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईंधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जाएगा।

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाएगा।

7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में सुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाए।

4- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4250-101-05-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जाएगा।

5 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 11-07-2025 18:56:07

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या- 778(1)/एक-10-2025, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

4- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभियन्ता भवन, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0एस0डी0एम0ए0।

7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ0प्र0 शासन।

9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।

10- अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, जनपद आजमगढ़, उ0प्र0।

11- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड, वाराणसी।

12- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, अलीगढ़।

13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी।

14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

15- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-16/07/2025

प्रेषण संख्या:- 778
आवंटन आदेश संख्या:- 001-778
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	अलीगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3202000 3202000	3202000 3202000
2	झॉसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2658000 2658000	2658000 2658000
3	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4209000 4209000	4209000 4209000
4	आजमगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3971000 6545750	3971000 6545750
	योग	वर्तमान प्रगामी	14040000 16614750	14040000 16614750

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ चालीस लाख चालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ छियासठ लाख चौदह हजार सात सौ पचास

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।